



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 24, 2019/माघ 4, 1940
No. 21] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 24, 2019/MAGHA 4, 1940

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2019

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2019

आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.040.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2019 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 36ख में, उप-विनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(4क) समाधान योजनाओं के अनुरोध में समाधान आवेदक से, यदि उसकी समाधान योजना को धारा 30 की उपधारा (4) के अधीन अनुमोदित कर दिया जाता है, उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर कार्य-निष्पादन प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जाएगी और ऐसी कार्य-निष्पादन प्रतिभूति तब प्रतिसंहत हो जाएगी यदि ऐसी योजना का समाधान आवेदक, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा उसके अनुमोदन के पश्चात्, उस योजना को, योजना के निबंधनों और उसकी कार्यान्वयन सारणी के अनुसार कार्यान्वित करने में असफल रहता है या उसके कार्यान्वयन की असफलता में योगदान करता है :

स्पष्टीकरण I.- इस उप-विनियम के प्रयोजनों के लिए, “कार्य-निष्पादन प्रतिभूति” से ऐसी प्रकृति, मूल्य, अवधि और स्रोत की प्रतिभूति अभिप्रेत होगी, जो कि समाधान योजना की प्रकृति और कारपोरेट ऋणी के कारबार को ध्यान में रखते हुए, समिति के अनुमोदन से समाधान योजनाओं के अनुरोध में विनिर्दिष्ट की जाए।

स्पष्टीकरण II.- कार्य-निष्पादन प्रतिभूति को आत्यांतिक निबंधनों में विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा, जैसे कि किसी बैंक से X रुपए की Y वर्ष के लिए या एक या अधिक परिवर्ती राशि के संबंध में गारंटी, जैसे समाधान योजना की अवधि, समाधान योजना के अधीन लेनदारों को संदेय रकम, आदि।”।

3. मूल विनियमों के विनियम 38 में, उप-विनियम (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(1ख) समाधान योजना में इस बारे में ब्यौरे देते हुए एक विवरण शामिल होगा कि क्या समाधान आवेदक या उससे संबद्ध कोई पक्षकार, इससे पूर्व किसी भी समय न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी अन्य समाधान योजना को कार्यान्वित करने में असफल रहा है या उसने उसके कार्यान्वयन की असफलता में योगदान किया है।”।

4. मूल विनियमों के विनियम 39 में,-

(i) उप-विनियम (4) में, “अनुसूची के प्ररूप ज में अनुपालन प्रमाणपत्र” शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“अनुसूची के प्ररूप ज में अनुपालन प्रमाणपत्र और विनियम 36ख के उप-विनियम (4क) के अधीन अपेक्षित कार्य-निष्पादन प्रतिभूति की प्राप्ति के साक्ष्य।”;

(ii) उप-विनियम (8) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(9) ऐसा कोई लेनदार, जो धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन अनुमोदित किसी समाधान योजना के अकार्यान्वयन से व्यथित है, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को निदेशों के लिए आवेदन कर सकेगा।”।

5. मूल विनियम की अनुसूची के प्ररूप ज में,-

(क) पैरा 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“7. समाधान योजना के अधीन हितधारकों के लिए उपबंधित रकमें निम्न प्रकार हैं:-

(रकम लाख रुपयों में)

| क्रम सं. | हितधारक का प्रवर्ग* | दावा की गई रकम | स्वीकार की गई रकम | योजना के अधीन प्रदान की गई रकम# | दावा की गई रकम के मुकाबले प्रदान की गई रकम (%) |
|----------|--------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|--|
| 1. | प्रतिभूत वित्तीय लेनदार | | | | |
| 2. | अप्रतिभूत वित्तीय लेनदार | | | | |
| 3. | प्रक्रियागत लेनदार | | | | |
| | सरकार | | | | |
| | कर्मकार | | | | |
| | कर्मचारी | | | | |
| | | | | | |
| 4. | अन्य ऋण और देय | | | | |
| | योग: | | | | |

* यदि किसी प्रवर्ग में उप-प्रवर्ग हों तो कृपया प्रत्येक उप-प्रवर्ग के लिए पंक्ति जोड़ें।

समाधान योजना के अधीन अतिरिक्त समय में प्रदान की गई रकम और इसके अंतर्गत गैर-नकदी घटकों का अनुमानित मूल्य भी शामिल है। यह एन.पी.वी. नहीं है।”;

(ख) पैरा 9 में, 'विनियम 38(1क)' और '39(2)' से संबंधित पंक्तियों के पश्चात्, क्रमशः निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

| संहिता की धारा/ विनियम | समाधान योजना की बाबत अपेक्षा | समाधान योजना का खंड | अनुपालन (हां/नहीं) |
|---------------------------|---|------------------------|-----------------------|
| “विनियम 38 (1ख) | (i) क्या समाधान आवेदक या उससे संबद्ध कोई पक्षकार संहिता के अधीन अनुमोदित किसी समाधान योजना को कार्यान्वित करने में असफल रहा है या उसने उसके कार्यान्वयन की असफलता में योगदान किया है? (ii) यदि ऐसा है, तो क्या समाधान आवेदक ने ऐसे अकार्यान्वयन के ब्यौरे देते हुए विवरण प्रस्तुत किया है? | | |
| विनियम 39(4) | विनियम 36ख के उप-विनियम (4क) में यथा-निर्दिष्ट प्राप्त कार्य-निष्पादन प्रतिभूति के ब्यौरे दें।”। | | |

डॉ. एम. एस. साहू, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./497/18]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.004, तारीख 30 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें तत्पश्चात्

- 1) अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.013, तारीख 16 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2017;
- 2) अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.018, तारीख 5 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017;
- (3) अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.019, तारीख 7 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017;
- (4) अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.022, तारीख 31 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियम, 2017;
- (5) अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.024, तारीख 6 फरवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2018;

(6) अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.030, तारीख 27 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018;

(7) अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2018-19/जी.एन./आर.ई.जी.031, तारीख 3 जुलाई, 2018 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018 (4 जुलाई, 2018 से प्रभावी) ; और

(8) अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2018-19/जी.एन./आर.ई.जी.032, तारीख 5 अक्टूबर, 2018 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियम, 2018

द्वारा संशोधन किए गए थे।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2019

THE INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA (INSOLVENCY RESOLUTION PROCESS FOR CORPORATE PERSONS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2019

No. IBBI/2019-20/GN/REG040.—In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2019.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 36B, after sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be inserted, namely: -

“(4A) The request for resolution plans shall require the resolution applicant, in case its resolution plan is approved under sub-section (4) of section 30, to provide a performance security within the time specified therein and such performance security shall stand forfeited if the resolution applicant of such plan, after its approval by the Adjudicating Authority, fails to implement or contributes to the failure of implementation of that plan in accordance with the terms of the plan and its implementation schedule.

Explanation I. – For the purposes of this sub-regulation, “performance security” shall mean security of such nature, value, duration and source, as may be specified in the request for resolution plans with the approval of the committee, having regard to the nature of resolution plan and business of the corporate debtor.

Explanation II. – A performance security may be specified in absolute terms such as guarantee from a bank for Rs. X for Y years or in relation to one or more variables such as the term of the resolution plan, amount payable to creditors under the resolution plan, etc.”.

3. In the principal regulations, in regulation 38, after sub-regulation (1A), the following sub-regulation shall be inserted, namely: -

“(1B) A resolution plan shall include a statement giving details if the resolution applicant or any of its related parties has failed to implement or contributed to the failure of implementation of any other resolution plan approved by the Adjudicating Authority at any time in the past.”.

4. In the principal regulations, in regulation 39,-

(i) in sub-regulation (4), for “Form H of the Schedule”, the following shall be substituted, namely: -

“Form H of the Schedule and the evidence of receipt of performance security required under sub-regulation (4A) of regulation 36B.” ;

(ii) after sub-regulation (8), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(9) A creditor, who is aggrieved by non-implementation of a resolution plan approved under sub-section (1) of section 31, may apply to the Adjudicating Authority for directions.”.

5. In the principal regulations, in the Schedule, in Form H, -

(a) for paragraph 7, the following shall be substituted, namely: -

“7. The amounts provided for the stakeholders under the Resolution Plan is as under:

(Amount in Rs. lakh)

| Sl. No. | Category of Stakeholder* | Amount Claimed | Amount Admitted | Amount Provided under the Plan# | Amount Provided to the Amount Claimed (%) |
|---------|-------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|---|
| 1 | Secured Financial Creditors | | | | |
| 2 | Unsecured Financial Creditors | | | | |
| 3 | Operational Creditors | | | | |
| | Government | | | | |
| | Workmen | | | | |
| | Employees | | | | |
| | | | | | |
| 4 | Other Debts and Dues | | | | |
| Total | | | | | |

*If there are sub-categories in a category, please add rows for each sub-category.

Amount provided over time under the Resolution Plan and includes estimated value of non-cash components. It is not NPV.”;

(b) in paragraph 9, after the rows relating to ‘Regulation 38(1A)’ and ‘39(2)’, the following shall respectively be inserted, namely: -

| Section of the Code/Regulation No. | Requirement with respect to Resolution Plan | Clause of resolution plan | Compliance (Yes/No) |
|------------------------------------|--|---------------------------|---------------------|
| “Regulation 38(1B) | (i) Whether the Resolution Applicant or any of its related parties has failed to implement or contributed to the failure of implementation of any resolution plan approved under the Code. (ii) If so, whether the Resolution Applicant has | | |

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| | submitted the statement giving details of such non-implementation? | | |
| Regulation 39(4) | Provide details of performance security received, as referred to in sub-regulation (4A) of regulation 36B.”. | | |

Dr. M. S. SAHOO, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./497/18]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 were published in the Gazette of India Extraordinary vide notification No. IBBI/2016-17/GN/REG004 on 30th November, 2016 and was subsequently amended by—

- 1) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. IBBI/2017-18/GN/REG013, dated the 16th August, 2017;
- 2) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. IBBI/2017- 18/GN/REG018, dated the 5th October, 2017;
- 3) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Third Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. IBBI/2017- 18/GN/REG019, dated the 7th November, 2017;
- 4) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Fourth Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. IBBI/2017- 18/GN/REG022, dated the 31st December, 2017;
- 5) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. IBBI/2017-18/GN/REG024, dated the 6th February, 2018;
- 6) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. IBBI/2017-18/GN/REG030, dated the 27th March, 2018;
- 7) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency resolution Process for Corporate Persons) (Third Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. IBBI/2018-19/GN/REG031, dated the 3rd July, 2018 (w.e.f. 4th July, 2018); and
- 8) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency resolution Process for Corporate Persons) (Fourth Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. IBBI/2018-19/GN/REG032, dated the 5th October, 2018.